

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2016/ज्येष्ठ 26, 1938

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 64

No. 110]

DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2016/JYAISTHA 26, 1938

[N.C.T.D. No. 64

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जून, 2016

फा. सं. 16(426)/श.वि./जल/1999/2013/979.—दिल्ली राजपत्र आसाधारण के भाग 4 में प्रकाशित दिनांक 18 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. फा. 16(426)/शहरी विकास/जल/2013/1287 के अधिक्रमण में उस अधिसूचना को, जिसमें अनजाने में हुई कुछ मुद्रण सम्बन्धी गलतियों के कारण, एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड (ड़) जिसे धारा 109 की उप-धारा (2) के खंड ड के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया था, दिनांक 18-01-2012 को सक्षम प्राधिकारी ने अपने कार्यवृत्त में अनुमोदित किया था, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद के निम्न भर्ती नियम इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :- (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।  
(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड/ग्रेड पे एवं वेतनमान** :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण, पे बैंड/ग्रेड पे तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
4. **अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति  
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या  
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा।

शर्त यह है कि दिल्ली जल बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **नियमित सेवा** :- किसी ग्रेड के संदर्भ में "नियमित सेवा" का अर्थ उक्त ग्रेड पर दीर्घकालिक नियुक्ति के लिये चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन होने के उपरान्त ग्रेड पर सेवारत रहने की अवधि है या अवधियां हैं और इसमें कोई अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं जिसमें कोई अधिकारी उस ग्रेड के किसी ड्यूटी पद पर बना रहना होगा यदि ऐसा नहीं होता तो वह अवकाश पर या अन्यथा रहने के कारण किसी पद को धारण करने हेतु उपलब्ध नहीं है।

6. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

7. **बचाव** :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

8. **निरसन**:- दिल्ली प्रशासन की दिनांक 23.12.1986 की अधिसूचना संख्या फा. 9/8/85-एलएसजी/8970 इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से निरस्त समझी जायेगी।

**"अनुसूची"**

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | पदानाम  | : | अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)   |
| 2.  | पदों की संख्या  | : | 17(2013)<br>इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।   |
| 3.  | वर्गीकरण  | : | श्रेणी "क"   |
| 4.  | पे बैंड एवं ग्रेड पे / वेतनमान  | : | वेतन समूह-3 में 15600-39100/-रुपये (ग्रेड पे 7600/-रुपये)<br>टीप: वेतन समूह-3 में 15600-39100/-रुपये, 7600/-रुपये के ग्रेड पे सहित नियमित आधार पर अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के पदधारी श्रेणी "क" पदों में नियमित सेवा के 13 वर्ष पूर्ण करने पर वेतन समूह-4 में 37400-67000/-रुपये, 8700/-रुपये के ग्रेड पे सहित प्रतिस्थापन के पात्र होंगे।   |
| 5.  | क्या चयन पद है या गैर चयन पद  | : | चयन  |
| 6.  | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा   | : | लागू नहीं  |
| 7.  | सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ  | : | लागू नहीं  |
| 8.  | क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।  | : | लागू नहीं  |
| 9.  | परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो   | : | लागू नहीं  |
| 10. | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | : | पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा   |
| 11. | यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है                  | : | <b>पदोन्नति:</b><br>(i) वेतन समूह-3 में 15600-39100/-रुपये +ग्रेड पे 6600/-रुपये में कार्यपालक अभियन्ता (सिविल) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा सहित तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रशिक्षण संस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/प्रशिक्षण केन्द्र से ई-गर्वनेंस, ई-निविदा तथा संविदा विधि में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले।<br><b>नोट 1:-</b> जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने कनिष्ठ अधिकारी, उतनी अर्हक/पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p><b>प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित):—</b></p> <p>केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के निम्नलिखित अधिकारी:—</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा</p> <p>(ii) पे बैंड-3 में 15600-39,100/-रुपये+ग्रेड पे 6600/-रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पाँच वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले।</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि अथवा इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) से सिविल अभियांत्रिकी में भाग "क" तथा "ख" परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(ii) बड़े जल संयंत्र/अवजल उपचार संयंत्रों के प्रचालन का अनुरक्षण तथा संयंत्रों की योजना, डिजाइनिंग तथा निर्माण का दस वर्ष का अनुभव, जिसमें जल निकासी तथा सीवेज कार्यों इत्यादि के लिए पाईप लाईन बिछाना शामिल हैं।</p> <p>भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) इसमें उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग ने इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि भी सम्मिलित है। सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टीपः—</b> पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। जहाँ पर पूर्व संशोधित एक से अधिक वेतनमानों का विलय साझे ग्रेड/वेतनमान सहित एक ग्रेड में किया जा चुका है, और जहाँ ये लाभ उस/उन पद/पदों के लिये ही विस्तारित हैं जिसके लिये यह ग्रेड पे/वेतनमान किसी प्रकार के अपग्रेडेसन के बिना सामान्य प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) ग्रेड है।</p> |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?                      | <p>“क” वर्गीय विभागीय पदोन्नति (पदोन्नति पर विचारार्थ)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष</li> <li>2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड—सदस्य</li> <li>3. सदस्य (प्रशासन), दिल्ली जल बोर्ड—सदस्य</li> </ol>   |
| 13. | वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है। | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।   |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

## URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Delhi, the 10th June, 2016

**No. 16(426)/UD/W/2013/979.**— In supersession of the notification No. 16(426)/UD/W/2013/1287 dated 18<sup>th</sup> November 2015, published in Delhi Gazette extra ordinary part –IV, which hereby stands withdrawn owing to certain inadvertent typographical errors occurred therein, the following Recruitment Rules for the post of Superintending Engineer (Civil) in the Delhi Water Board, Delhi under clause(m) sub-section (2) of section 109 as approved by under clause(m) sub-section (2) of section 109, as approved by Competent Authority of Delhi Jal Board vide its minutes dated 18/01/2012, are published for general information as under:-

1. **Short title and commencement.**— (i) These regulations may be called the Delhi Jal Board recruitment regulations for the post of Superintending Engineer (Civil), 2016.  
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Number of posts, Classification and Pay band/Grade pay and scale of pay.**— The number of posts, their classification and the Pay band/Grade pay and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these Regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule aforesaid.
4. **Disqualifications.**— No person –
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person
 Shall be eligible for appointment to any of the said posts:  
 Provided that Delhi Water Board, may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
5. **Regular service.**— “Regular service” in relation to any grade means the period or periods of service in the grade, rendered after selection, according to the prescribed, procedure of selection for long term appointment to that grade and shall include any period or periods during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such a post.
6. **Power to relax.**— Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**— Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Govt. of India.
8. **Repeal.**— Delhi Administration’s Notification F9/8/85-LSG/8970, 23.12.1986 shall stand repealed from the date of issue of this notification.

## SCHEDULE

| Name of the post               | No. of post.   | Classification | Pay Band & Grade Pay/Pay Scale   | Whether Selection post or non-selection post. | Age limit for direct Recruits. | Educational and other qualification required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. |
|--------------------------------|--|----------------|--|---|--------------------------------|---|--|------------------------------|
| 1.                             | 2.   | 3.             | 4.   | 5.  | 6.                             | 7.  | 8.   | 9.                           |
| Superintending Engineer(Civil) | 17. (2013) Subject to variation dependent on workload. | Category 'A'   | PB-3 Rs. 15,600-39,100 (Grade pay Rs. 7600/-).<br><b>Note:</b> The incumbents holding the post of Superintending Engineer (Civil) on regular basis in PB-3, Rs.15,600-39,100 with Grade Pay of Rs.7600 shall be entitled for placement in Pay Band-4, Rs. 37,400-67,000 with Grade Pay of Rs. 8700 on completion of 13 years of regular service in category 'A' posts. | Selection                                     | Not Applicable                 | Not Applicable  | Not Applicable.  | Not applicable               |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by Promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.   | If a DPC exists, what is its Composition.  | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|--|--|--|---|
| 10.  | 11.  | 12.  | 13.   |
| By promotion failing which by deputation including short term contract.  | <b>Promotion:</b> - Executive Engineer (Civil) in Pay Band-3, 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs. 6600 with 5 years regular service in the grade and have undergone training in E-tendering, E-governance and Contract Laws from the CPWD training institute or any recognized training centre.<br><b>Note:-</b> Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for | Category 'A' DPC (for consideration of promotion)<br>1. Chairman/Member: UPSC : —Chairman<br>2. Chief Executive officer DJB: —Member<br>3. Member (Admn.), | Consultation with UPSC necessary on each occasion.                    |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
|  | <p>promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.</p> <p><b>Deputation(Including short term contract)</b><br/>Officers under the Central/State Government./UTs/ Universities/ recognized research institutions/PSUs/semi-Government or autonomous or statutory organizations:-</p> <p>(A)(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; OR</p> <p>(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band -3, in the scale of pay of Rs. 15,600-39,100 with Grade pay of Rs. 6600/- or equivalent in the parent department; AND</p> <p>(B) Possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>(i) Degree in Civil Engineering from a recognized university/Institute or passed Section 'A' &amp; 'B' Examination of Institution of Engineers (India) in Civil Engineering.</p> <p>(ii) Ten year's experience of operation &amp; maintenance of large water and sewage treatment plant and planning, designing and erection of the plants, including laying of water drainage and sewage works etc.</p> <p>Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>(Period of Deputation (ISTC) including period of Deputation (ISTC) In another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by Deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p> <p><b>Note:</b> For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation</p> | DJB - :Member |  |
|--|---|---------------|--|

By Order and in the Name of National Capital Territory of Delhi,

R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)